राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/17/ 01—   जयपुर,दिनांकः 01/01/18

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत शहरी जनकल्याण शिविरो का आयोजन दिनांक 10.05.17 से 10.07.17 तक किये जाने हेतु विभागीय आदेश दिनांक 25.4.17 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। तत्पश्चात् जन कल्याण शिविर आयोजित किये जाने हेतु अवधि 10.08.17 तक बढाई गई थी। उक्त जन कल्याण शिविरो के माध्यम से नगरीय निकाय क्षेत्रो में कैम्प लगाये जाकर प्राप्त आवेदनो का निस्तारण शिविर के दौरान किया जाना था। विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2017 द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरो में प्राप्त प्रकरणो का निस्तारण वर्तमान प्रकिया एवं छूट के अनुरूप एम्पावर्ड कमेटी को दिनांक 31.12. 2017 तक अधिकृत किया गया था। जन सामान्य की मांग कि वे जन कल्याण शिविरो में किन्ही कारणो से आवेदन पेश नहीं कर सके इसलिए मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना में आवेदन प्राप्त करने की अवधि में वृद्धि की जावे। नगरीय निकाय कार्यालयो में आवेदन प्राप्त करने की अवधि दिनांक 07.12.2017 द्वारा दिनांक 31.12.2017 तक बढाई गई थी।

जन सामान्य द्वारा पुनः की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि दिनांक 31.03.2018 तक बढाई जाती है तथा नगरीय निकाय कार्यालयो में आवेदन प्राप्त करने की अवधि भी दिनांक 31.03.2018 तक बढाई जाती है। इस अवधि में गठित एम्पावर्ड कमेटी को प्रदत्त अधिकार यथावत रहेगें। प्राप्त प्रकरणो का इस अवधि में निस्तारण किया जाकर जन कल्याण शिविरो में जो विभिन्न छूट प्रदान की गई थी, उसकी प्रभाविता भी दिनांक 31.03.18 बढाई जाती है। इस प्रकार पूर्व में जो कार्य शिविर आयोजित करके शिविरो के दौरान किये जा रहे थे वे अब निकाय कार्यालयो में सम्पादित किये जावेगे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/17/02–496   दिनांकः 01/01/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक,मा.मंत्रीमहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
3. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
5. समस्त जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान।
6. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राज0जयपुर
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगरनिगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी